तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. है। वकील अप्रार्थी श्री सीताराम नागर ने अप्रार्थीगण सं. 3,5,6,7,9 से 14, 16 से 18, 20 से 23 की ओर से No instruction का अंकन किया। अप्रार्थीगण को आवाजें लगवायी गयी। अप्रार्थीगण उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण सं. 3,5,6,7,9 से 14, 16 से 18, 20 से 23 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली में एकपक्षीय बहस प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/8/22 को पेश हो।
5.8.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 12.8.22 को पेश हो।
12/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। एकपक्षीय बहस में वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे वर्णित ग्राम करवर की भूमि खसरा संख्या 792/0-04, 969/0-04, 976/04-02 व 979/03-18 कुल किता 4 कुल रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा जिसकी खाता संख्या 249 है ... की खाता सं. 249 की खसरा संख्या 152/11-04, 160/7-14, ... कुल किता 4 कुल रकबा 48 बीघा 01 बिस्वा भूमि तथा ग्राम करवर की ही खाता संख्या 942 की खसरा सं. 1524 रकबा 36 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:28:11 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	13 बिस्वा भूमि में स्थित है जिनके प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सह-खातेदार दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार एवं राजस्व मण्डल द्वारा विभिन्न प्रकरणों में प्रतिनिर्धारित सिद्धान्तों एवं 1964 RRD पेज 84 के अनुसार साधारणतया एक सह अभिधारी किसी दूसरे सह अभिधारी के विरुद्ध आदेश प्राप्त नहीं कर सकते है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। रिकार्ड सह-खातेदारान होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकार्ड, बहस वकील प्रार्थी एवं उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 RT Act अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:28:11 IST
Reason: SelfAttested